



म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
ब्लॉक-1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
(मुख्य कार्यालय-59, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल)

क्र./ 9345 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2012

भोपाल, दिनांक 03/10/2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला - (समस्त)

विषय: महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत लिये जा सकने वाले अनुमत कार्य (Permissible work) नकारात्मक कार्यों की सूची (Negative Work) एवं नवीन प्रस्तावित कार्यों के संबंध में।

महात्मा गाँधी नरेगा, कृषि एवं ग्रामीण आजीविका को और अधिक सुदृढ़ करने, ग्रामीण पर्यावरण में संतुलन स्थापित कर ग्रामीणों के लिये स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत कार्यों की नवीन श्रेणियां एवं उनमें नवीन कार्यों का समावेश किया गया है, जो भारत सरकार की वेबसाइट nrega.nic.in के पोर्टल पर Frame work for "Planning of works" अंग्रेजी व हिन्दी वर्जन में उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा योजना में अनुमत किये गए इन नवीन कार्यों में से अधिकतर कार्यों को पूर्व से ही प्रदेश में विभिन्न उपयोजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत जिन नवीन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभाग के निर्देश नहीं हैं उनके निर्देश राज्य स्तर पर तैयार किये जाकर उपलब्ध कराये जावेंगे। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में महात्मा गाँधी नरेगा योजनांतर्गत निर्धारित कार्यों की 16 श्रेणियों के अंतर्गत लिये जाने वाले अनुमत कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है। योजना के तहत नहीं किये जाने वाले नकारात्मक कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

क्षेत्र विकास की परिस्थितियों को देखते हुये ऐसे कार्य जो श्रम मूलक स्थाई संरचना के दृष्टिगत नरेगा के तहत लिये जा सकते हैं, परन्तु भारत सरकार का पत्र सं.जे. -11013/01/2011-मनरेगा-1(भाग-VI) दिनांक 29.08.2012 से जारी निर्देशों के साथ संलग्न अनुमत कार्यों की श्रेणी में नहीं हैं, उनके प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट-3 में दर्शित बिन्दुओं की जानकारी देते हुये परिषद् को भेजे जा सकते हैं।

कृपया विभाग के निर्देशों के अनुसार संलग्न प्रपत्र मे महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों के अनुसार जिले में शेल्व ऑफ प्रोजेक्ट तैयार कराया जाये एवं कार्यों का विवरण लेबर बजट तैयार करने हेतु निर्धारित एम.आई.एस., प्रपत्र में निर्धारित श्रेणी में ही ध्यान पूर्वक भरा जावे।

संलग्न : निर्माण कार्यों की सूची

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 03/10/2012

पृ.क्र./ 9346 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-III/2012
प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, भोपाल।
2. परियोजना समन्वयक, डी.पी.आई.पी., भोपाल।
3. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
4. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र.।
6. कमिश्नर, समस्त संभाग, म.प्र.।
7. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त म.प्र.।
8. कलेक्टर, जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग समस्त म.प्र.।
11. कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म.प्र.। जनपद पंचायत अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को प्रति उपलब्ध कराई जाये।

प्रति,

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विस्तृत मानदंड

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	भूमि का स्था मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएल)	भौतिक मानदंड				कार्य संपादन का सम्भावित सीजन	
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	वित्तीय मानदंड (लाख रु में)		
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
1			1. जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण	कन्टीन्युअस कंटूर ट्रेचें जे / फराजे, स्टैगर्ड ट्रेच, बाक्स ट्रेच शैलपर्ण (Continuous contour trenches/furrows, Staggered trenches, Box trenches)	वैयक्तिक भूमि (पीएल)	घनमीटर मिट्टी कार्य		घन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1a			एकत्रीकरण	संकन तालाब (Sunken Ponds)	पीएल	घनमीटर मिट्टी कार्य		घनमी भण्डारण क्षमता का सृजन होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1b				गली प्लग्स (Gully Plugs)	भूमि विकास के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि / वै. भूमि	घनमीटर मिट्टी कार्य		खेती के अंतर्गत हेक्ट. क्षेत्रफल आणगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1c				बोल्डर चेक (Boulder Check)	भूमि विकास के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि / वै. भूमि	घन मीटर सूखा पथर राजगीरी		हेक्टियर क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1d				गोबियन स्ट्रक्चर्स (Gabian Structures)	पीएल	गोबियन के साथ घन मीटर सूखा पथर राजगीरी		हेक्टियर क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1e				जलाशय, तालाब, रिसाव टैंक आदि(Ponds, Tanks, Percolation Tanks etc.)	पीएल	घन मीटर मिट्टी कार्य		घन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1f				भूमिगत बांध(Underground Dyke)	पीएल	घन मीटर मिट्टी कार्य		हेक्ट. क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं जनवरी से मार्च
1g				मिट्टी बाँध (Earthen Dam)	पीएल	घन मीटर मिट्टी कार्य		घन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1h				स्प्रिंग शेड विकास	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल एवं आईएल	मिट्टी कार्य		हेक्टियर क्षेत्रफल का विकास होगा			अप्रैल से मार्च
1i				क) स्टैगर्ड ट्रेचे जे ख) पौधरोपण (Springs Shed Development A. Staggered Trenches B. Plantation)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल एवं आईएल	मिट्टी कार्य ख) लगाए गए पौधों की संख्या					अप्रैल से मार्च

क.सं.	भूमि का स्था मित्व	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			कार्य संपादन का संभावित सीजन			
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर / वर्ग मीटर / किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम		वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)	अनुमानित लागत	मजदूरी पर
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9	
1j				चैक बांध, एनीकट, रोक बांध (Check Dam, Anicut, Stop Dam)	पीएल घन मीटर राजनीसी कार्य	 घन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा और..... हेक्टे. क्षेत्रफल को लाभ होगा				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1k				सैंड फिल्टर के जरिए कुओं को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करना (Artificial Recharge of well through Sand Filter)	सिंचाई सुविधा के अंतर्गत पीएल और आईएल	फिल्टर के साथ गड्डे का..... घन मीटर आकार		कुएँ को... घन मीटर अपवाह जल से रिचार्ज करेगा				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
2			2. वनरोपण और वृक्षा रोपण सहित सूखारोधन	नर्सरी में बढ़ाव (Nursery Raising)	पौधरोपण के अंतर्गत पीएल और आईएल	वृद्धि किए गए बाल वृक्षों (सैपलिंग की संख्या)	 संख्या में पौधों का उत्पादन होगा				जून से अक्टूबर
2a				वन का ईको-रेस्टोरेशन (Eco restoration of Forest)	पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।		हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।				जून से अक्टूबर
2b				वनरोपण वनरोपण के अंतर्गत घटिया वन और बंजर भूमि को कवर करना (Afforestation - To cover degraded forest & Barran land under afforestation)	पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।		हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।				जून से अक्टूबर
2c				चरागाह विकास तथा वन चरागाह (Grass Land Development & Silvi Pasture)	पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।		हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।				जून से अक्टूबर
2d				सड़क / नहर किनारे पौधारोपण हरियाली (Road/ Canal Side Plantation)	पीएल सं. में पौधारोपण किया गया है तथा किमी कवर किया गया है।	 किमी सड़क / नहर का संरक्षण होगा।				जून से अक्टूबर
2e				ब्लाक पौधारोपण बन्धा, रेशम (Block Plantation)	पीएल हेक्टे. क्षेत्रफल में लगाये गये पौधों की संख्या	 हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।				जून से अक्टूबर

क.सं.	भूमि का स्था मित्त	खसरा संख्या	कार्यो की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत	मजदूरी पर सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.1	7.11	7.111	8.1	8.11	9
3			3 माइक्रो एवं लघु सिंचाई सहित सिंचाई नहरें								
3a			क. सिंचाई नहरें	नहरों का निर्माण, वितरणिका तथा लघु नहरें (Construction of Canal Distributory & minor)	पीएल घन मीटर मिट्टी कार्य तथाकिमी लम्बाई का निर्माण		कमान्ड के अंतर्गत ... हेक्टे. क्षेत्रफल आएगा			अप्रैल से मई, अक्टूबर से मार्च
3b				नहरों की लाइनिंग (Lining of Canals)	पीएल घन मीटर लाइनिंग तथा कवर की गई किमी. लम्बाई	 हेक्टे. अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल का सृजन होगा			अप्रैल से मई, अक्टूबर से मार्च
3c				लघु एवं उप लघु नहरों का पुनर्वास (Rehabilitation of Minors, Sub Minors)	पीएल घन मीटर मिट्टी कार्य / राजगिरी तथा कई किमी. लम्बाई गई	 हेक्टे. अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल का सृजन होगा			अप्रैल से मई, अक्टूबर से मार्च
3d			ख- लघु सिंचाई कार्य	सिंचाई के लिए सामुदायिक कुएँ (Community Well for irrigation)	पीएल मी. व्यास और मी. गहराई तथा घनमीटर लाइनिंग	 हेक्टे. क्षेत्रफल की सिंचाई होगी			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
3e				लिफ्ट सिंचाई (Lift Irrigation)	पीएल घनमीटर राजगिरी कार्य	 हेक्टे. क्षेत्रफल की सिंचाई होगी			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4			4. सिंचाई सुविधा								
4a			बागवानी पौध रोपण तथा वैयक्तिक भूमि आईएल पर भूमि विकास सिंचाई सुविधा का प्रावधान	जल मार्गों (वाटर कोर्स) / फील्ड चैनल का निर्माण, सहरत्रथारा (Construction Water Courses/Field Chhanel)	आईएल वर्गमी कास सेवशन तथा किमी. लम्बाई	 हेक्टे. क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4b				जल मार्गों / फील्ड चैनल की लाइनिंग (Lining of Water Courses/Field Chhannels)	आईएल वर्गमी कास सेवशन तथा किमी. लम्बाई	 हेक्टे. क्षेत्रफल को लाभ होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च

क.सं.	भूमि का खास नम्बर	खसरा संख्या	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। (वीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएल)	भौतिक मानदण्ड				कार्य संपादन का संभावित सीजन	
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		
1	2	3	4	5	6	7.1	7.11	7.111	8.1	8.11	9
4c				कुर की खुदाई / कपिलधारा कूप (Dug Well)	आईएल	... मी. आकार तथा ... मी गहराई और घ.मी. लाइनिंग		... हेक्टे. क्षेत्रफल की सिंचाई होगी।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4d			बागवानी पौधरोपण	खेत में तालाब / डिग्गी / टैंक बनाना (Dug Out Farm Pond/Diggi/ Tank)	आईएल	... घनमी. मिट्टी कार्य / राजगिरी		... घ.मी. जल भण्डारण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4e			बागवानी पौधरोपण	बागवानी पौधरोपण नंदन फलोद्यान (Horticulture Plantation)	आईएल	पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल में	... हेक्टे. क्षेत्रफल में पौध रोपण किया जा रहा है				जून से सितम्बर
4f			पौध रोपण	बाउन्ड्री पौधरोपण (Boundary Plantation)	आईएल	पौधों की संख्या तथा मी. में लम्बाई	... हेक्टे. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।				जून से सितम्बर
4g				ब्लॉक पौधरोपण / निर्मल वाटिका (Block Plantation)	आईएल	पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल में	... हेक्टे. क्षेत्रफल कवर होगा।				जून से सितम्बर
4h				दांचा (भूमि विकास और शाहतूत पौधरोपण) (Sericulture (Land Development & mulberry Plantation))	भूमि विकास और पौधरोपण के अंतर्गत आईएल	पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल में	... हेक्टे. क्षेत्रफल विकास होगा।				अप्रैल से मई एवं जुलाई से दिसम्बर
4i			भूमि विकास	कन्टूर / ग्रेडेड बांध / खेत बांध का निर्माण, भूमि शिल्प (Construction of Contour/Graded Bund/Farm Bunding)	आईएल	... वर्गमी औसत सीएस एवं ... मी लम्बाई	... हेक्टे. क्षेत्रफल लाभ होगा।				अप्रैल से मई एवं नवम्बर से मार्च
4j				भूमि समतलीकरण और शैपिंग, (Land Levelling & Shapping)	आईएल	... घनमी मिट्टी काट्टाई और हेक्टे. क्षेत्रफल का लेबल किया गया।	... हेक्टे. क्षेत्रफल का लेबल किया जाएगा।				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4k				लवणीय / क्षारीय भूमि सुधार (Reclamation Of Saline/ Alkaline Land)	आईएल	... हेक्टे. क्षेत्रफल	... हेक्टे. क्षेत्रफल का सुधार होगा।				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
4l				निकास (ड्रेनेज) मार्गों का निर्माण (Construction of Drainage Chhannels)	आईएल	... वर्ग मी. औसत सीएस तथा ... मी. लम्बाई	... हेक्टे. क्षेत्रफल का लाभ होगा।				अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च

क.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यो की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएल)	भौतिक मानदण्ड				कार्य संपादन का संगणित सीजन	
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (इकाई घन मीटर / वर्ग मीटर / किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6	7.1	7.11	7.111	8.1	8.11	9
4m				निकटतम तालाब से गाद की ढुलाई करके बंजर भूमि पर मृदा को कवर करना (Soil Cover on Waste Land by Transporting Silt from nearby tank)	आईएल घन मी. मृदा तथा ... हेक्टे. क्षेत्रफल में		उत्पादन में प्रतिशत की वृद्धि			अप्रैल से मई एवं फरवरी से मार्च
4n				बंजर भूमि / फेलो भूमि का विकास (Development of waste fallow land)	आईएल घन मी. मृदा तथा ... हेक्टे. क्षेत्रफल में	 हेक्टे. क्षेत्रफल खेती के अंतर्गत कवर होगा			अप्रैल से मई एवं सितम्बर से मार्च
5			5. तालाबों से गाद निकालने सहित पारम्परिक जल निकासों का नवीकरण	जलाशयों, तालाबों तथा तलेयों ओर अन्य पारम्परिक जल निकासों से गाद निकालन (Desilting of tanks, Talab & Ponds & other Traditional water bodies)	पीएल घनमी मिट्टी कार्य	 घनमी भण्डारण क्षमता में वृद्धि			अप्रैल से मई एवं फरवरी से मार्च
5b				जलाशयों, तालाबों तथा तलेयों, चके बांध, एस्केप, दीयर्स और नियंत्रण ढांचों की मरम्मत, नवीकरण तथा जीर्णोद्धार (Repair, Renovation & Restoration of Tank, Talab, Ponds, Check Dam, Escape, Weirs & Control Structures)	पीएल	तकनीकी अनुमान / स्वीकृति के अनुसार		हेक्टे. अतिरिक्त क्षेत्रफल की सिंचाई होगी।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
6			6. भूमि विकास	वृक्षारोपण / वन चरगाहाड जैसे उत्पादन उपायों के लिए लवण प्रभावित भूमि का सुधार (Reclamation of salt affected land for production measures like tree plantation/Silvi pasture Development of waste land)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएल	शुरू की गई गतिविधि का परिमाण	 हेक्टे. क्षेत्रफल उत्पादन के अंतर्गत होगा।			जून से सितम्बर
6a											
6b				बंजर भूमि का विकास, ग्रामीण कीड़ागण शांतिधाम व कामधेनु।	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएल	शुरू की गई गतिविधि का परिमाण	 हेक्टे. क्षेत्रफल उत्पादन के अंतर्गत होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
7				7. बाड							

क्र.सं.	भूमि का स्था मित्त	खसरा संख्या	कार्यो की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड				वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (इकाई घन मीटर / वर्ग मीटर / किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत	मजदूरी पर सामग्री पर		
1	2	3	4	5	6	7.1	7.11	7.111	8.1	8.11	9	
7a			नियंत्रण	विपथन मार्ग (Diversion Channel)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएल	...घनमी मिट्टी कार्य तथा ... किमी लम्बाईहेक्ट. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
7b				विपथन वीयर (Diversion Weir)	पीएल	..घनमी राजगिरीहेक्ट. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
7c				पेरीफेरल / कासा बांध (Peripheral/ Cross Bund)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएलघनमी मिट्टी कार्य तथा . किमी लम्बाईहेक्ट. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
7d				जल भरवाव क्षेत्र में निकास मार्ग (Drainage in water logged areas)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल और आईएलघनमी मिट्टी कार्य तथा . किमी लम्बाईहेक्ट. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
7e				बाढ़ चैनल (मार्गों) की मरम्मत तथा गहरा करना (Deepning & Repair of flood Channels)								
7f				चौर नदीकरण (Chaur Renovation)	पीएल	खेदी गई ...घन मी मिट्टी तथामी. तटबंध की लम्बाईहेक्ट. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
7g				समुद्र तटीय क्षेत्र के संरक्षण हेतु स्टोर्म वाटर नालों का निर्माण (Construction of Storm water Drains for Coastal Protection)	पीएलघनमी. मिट्टी कार्य / ...घनमी. आर. आर. राजगिरी तथा ..मी. लम्बाईहेक्ट. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
7h				मध्यम एवं समर्क नालों का निर्माण (Construction of intermediate & link drains)	पीएल	हेक्ट. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
7i				टोकरों (स्पर्स) और प्रवाह नियंत्रण उपाय तटबंधों को सुदृढ़ करना (Spurs & Torrent Control Measures Strengthening of Embankment)	पीएलघनमी. मिट्टी कार्य तथा ...घन मी. मुरम व किमी. लम्बाईसं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
8			8. ग्रामीण									
8a			सड़क सम्पर्कता	मिट्टी मुरम रोड / नर्मदा पथ निर्माण (Mitti Muram Road)	पीएल	..घनमी. मिट्टी का कार्य तथा ... घनमी. मुरम व किमी लम्बाईसं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
8b				मिट्टी पथरी (ग्रेवल) रोड (Gravel Road)	पीएल	..घनमी. मिट्टी का कार्य व ... घनमी. पथरी व किमी लम्बाईसं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	

क्र.सं.	भूमि का स्वा मित्त	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड				वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर / वर्ग मीटर / किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत	मजदूरी पर	सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9	
8c				डब्ल्यूबीएम रोड (WBM Road)	पीएल	...घनमी. मिट्टी का कार्य व ... घनमी. पथरी व किमी लम्बाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं सितम्बर से मार्च	
8d				सी.सी. रोड, पंच परमेश्वर के अभिसरण से आंतरिक मार्ग (C.C. Road)	पीएल	...घनमी. मिट्टी कार्य व ...घनमी. सीमेंट काफ्रीट तथा वर्ग मी. ब्लाक क्षेत्र व किमी लम्बाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			जुलाई से मार्च	
8e				इन्टरलॉकिंग सीमेंट ब्लाक रोड (Interlocking Cement Block Road)	पीएल	...घनमी. मिट्टी कार्य व ...घनमी. सीमेंट काफ्रीट तथा वर्ग मी. ब्लाक क्षेत्र व किमी लम्बाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।				
8f				ईट खड़जा (Brick Kharanja)	पीएल	...घनमी. मिट्टी कार्य व ...घनमी. ईट क्षेत्र तथा किमी. लंबाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च	
8g				पत्थर का खड़जा (Stone Kharanja)	पीएल	...घनमी. मिट्टी कार्य व ...घनमी. सीमेंट काफ्रीट तथा वर्ग मीटर पथरीला क्षेत्र तथा ... किमी. लंबाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च एवं अक्टूबर से मार्च	
8h				क्रॉस ड्रेनेज (Cross Drainage)	पीएल	अनुमान के आधार पर	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च एवं अक्टूबर से मार्च	
9			9.									
9a				बीएनआरजीएर सके	पीएल	निर्मित वर्ग मी. कुर्सी क्षेत्र	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च	
9b				पंचायत भवन का विस्तार (Extension of Panchayat Bhawan)	पीएल	...वर्गमी. विस्तारित कुर्सी क्षेत्र	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च	
10				10. कृषि से संबंधित कार्य								
10a				नाडेप कम्पोस्टिंग (Nadep Composting)	आईएल	...घनमी आकार	प्रतिवर्ष ...टन खाद का उत्पादन होगा।	प्रतिवर्ष ...टन खाद का उत्पादन होगा।			अप्रैल से मार्च	
10b				वर्मी कम्पोस्टिंग (Vermi Composting)	आईएल	...घनमी आकार	प्रतिवर्ष ...टन खाद का उत्पादन होगा।	प्रतिवर्ष ...टन खाद का उत्पादन होगा।			अप्रैल से मार्च	

क.सं.	भूमि का स्वा मित्व	खसरा संख्या	कार्यो की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का सम्भावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर / वर्ग मीटर / किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत	मजदूरी पर सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
13a			क्षेत्र न कार्य	मछली सुखाने के गार्डस	पीएल व आईएल वर्ग मीटर प्लेटफॉर्म		प्रतिवर्ष टन मछली को सुखाया जाएगा			
13b				ड्रैन्ट वेजीटेशन	पीएल व आईएल	पीछों की संख्या और कि.मी. लम्बाई में	 हैक्ट. क्षेत्रफल का संरक्षण होगा।			
14			14. ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य								
14a				सोखा गड्ढे (Soak Pits)	पीएल / आईएल घनमी आकार (एनआरडीडब्ल्यूपी के अनुसार विशिष्ट)		प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिकार्ज होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
14b				रिकार्ज पिट्स (पाइंट रिकार्ज के लिए) (Recharge Pits For Point recharge))	पीएल / आईएल	रिकार्ज पिट्स रिकार्ज के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अनुसार विशिष्ट)		प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिकार्ज होगा			अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
14c				कुओं की खुदाई (निर्मल नीर सार्वजनिक कूप) (Dug Wells)	पीएल मी आकार तथा मी लम्बाई	 परिवारों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं नवम्बर से मार्च
15			15. ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी कार्य								
15a				वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएएएल) (टीएससी के अनुसार विशिष्ट) (Individual house hold Latrines (IHHL) Specification as per TSC)	आईएल	टीएससी विशिष्ट के अनुसार	 परिवारों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च
15b				विद्यालय शौचालय इकाईया (School Toilet Unis)	पीएल	टीएससी विशिष्ट के अनुसार	 सं. में बच्चों को लाभ मिलेगा			अप्रैल से मार्च
15c				आंगनवाड़ी शौचालय (Anganwadi Toilets)	पीएल	टीएससी विशिष्ट के अनुसार	 सं. में बच्चों को लाभ मिलेगा			अप्रैल से मार्च

क.सं.	भूमि का स्था मित्व	खसरा संख्या	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आर्इएल)	भौतिक मानदण्ड			वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)		कार्य संपादन का संभावित सीजन
						कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम	अनुमानित लागत	अनुमानित लागत	
1	2	3	4	5	6	7. I	7. II	7. III	8. I	8. II	9
15d				टोस एवं तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन (एसएलडब्ल्यू एम) क. कम्पोस्ट पिट ख. ड्रेनेज चैनल ग. साकेज चैनल / पिट घ. स्थायी तालाब (Solid & Liquid waste Management (SLWM)) a) Compost pit b) Drainage Chhanel c) Soakage Chhane/pit d) Stabilization pond	पीएल	क.घनमी. मिट्टी का कार्य ख.घनमी. मिट्टी कार्य तथामी. लम्बाई ग.घनमी. मिट्टी कार्य तथामी. लम्बाई घ.घनमी. मिट्टी का कार्य	सं. में ग्रामीणोंक े लाभ होगा।			अर्पल से मार्च
16			16. अन्य कोई कार्य								
16a			ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित	अनुमोदित होने पर ईकाइयों को निर्दिष्ट किया जाएगा (Units to be Specified when approved)							

नकारात्मक सूची – मनरेगा के तहत नहीं लिये जा सकने वाले कार्य

1. अनुसूची-I के पैराग्राफ 2 में यह अधिदेशित है कि परिसम्पत्तियों का सृजन करना योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें यह बात अन्तर्निहित है कि सृजित की गई परिसम्पत्तियों प्रकृति में ठोस, मापन योग्य और जॉच-पड़ताल योग्य होनी चाहिए। स्टैंडअलोन गतिविधियों के रूप में पत्थर, गिट्टी अथवा झाड़ी हटाने, गाद अनुप्रयोग तथा इसी प्रकार की गतिविधियों जैसे कार्यों की अनुमति नहीं है, सिवाए इसके कि जब ये ग्रामीण निर्धन के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने के लिए परियोजनाओं में कार्यों का हिस्सा हों।
2. सामान्यतः परिसम्पत्तियों का रखरखाव केवल उन कार्यों तथा परिसम्पत्तियों के लिए ही किया जाना चाहिए जिनका सृजन महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हुआ है। मनरेगा निधियों का प्रयोग मनरेगा से इतर योजनाओं से सृजित परिसम्पत्तियों के पुनः स्थापन हेतु किया जाना है तो तारीख सहित विगत में किए गए कार्य का पूर्ण ब्यौरा, अनुमान एवं मापन बही की प्रति, प्रशासनिक अनुमोदन देने से पूर्व, मनरेगा कार्य रिकार्ड के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेसी का यह भी कर्तव्य होगा कि उसने ग्राम पंचायत (जीपी) को अपेक्षित सभी विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु इन परिसम्पत्तियों को निष्पादित किया है। पंचायत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्यों की सूची में ऐसे प्रत्येक कार्य के सामने संबंधित प्रविष्टि कर दी गई है वह यह सुनिश्चय करेगा/करेगी कि प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व दस्तावेजों की प्रतियाँ डीपीसी को भी उपलब्ध करवा दी गई हैं तथा कार्य आदेश के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेसी को ब्यौरे उपलब्ध करवा दिए गए हैं।
3. महात्मा गांधी नरेगा निधियों का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुसूची-I के पैराग्राफ 1 ग के अंतर्गत उल्लिखित सभी श्रेणियों से संबंधित भूमि का मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के लिए अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। यदि भूमि मनरेगा कार्यों के लिए दान में दी जा रही है तो डीपीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दान पूर्णतः स्वैच्छिक है और यह किसी दबाव के बगैर किया जा रहा है।
4. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत व्यापक रूप से शुरू की गई एक प्रमुख गतिविधि कुओं का निर्माण करना है। तथापि, यह देखा गया है कि अनेक अवसरों पर यह कार्य उपलब्ध हाइड्रो-जियोलॉजीकल स्थितियों तथा पहले से पश्चप्रवण घटना पर संभावित प्रभाव, जल स्तर और जल गुणवत्ता के संदर्भ के बगैर अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया है। कुओं और नलकूपों जैसे वैयक्तिक स्रोतों के माध्यम से भूमिगत जल के विदोहन से कभी-कभी स्रोत की मात्रा (गहराई) और स्रोत की गुणवत्ता को हानि हो सकती है। अतएव, निम्नलिखित शर्तों का महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कुएँ खोदने के लिए निर्धारण किया जा रहा है :
 - (i) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बोरवैल और ट्यूबवैलों पर किसी भी हालत में अनुमेय गतिविधि के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
 - (ii) उन क्षेत्रों में निजी कुएँ खोदना मनरेगा के अंतर्गत एक अनुमेय गतिविधि नहीं होगी जिनको केन्द्रीय सरकार जल बोर्ड (सीजीडबल्यूसी) के अद्यतन आकलन के अनुसार सेमी-क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल या अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- (iii) उन क्षेत्रों जिनको केन्द्रीय सरकार जल बोर्ड (सीजीडबल्यूसी) के अद्यतन आकलन के अनुसार सेमी-क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल या अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केवल समूह कुँओं (ग्रुप वैल) की अनुमति प्रदान की जाएगी जहाँ कृषक समूह ऐसे " ग्रुप वैल " से पानी की सहभागिता करने हेतु सहमत हों। ऐसे प्रत्येक समूह में कम से कम 3 कृषक शामिल होने चाहिए।
- (iv) एक समूह कुँए से पानी लेने के लिए कृषकों के बीच औपचारिक करार (स्टाम्प पेपर पर) होना चाहिए। इस समूह द्वारा किए गए करार की जाँच पड़ताल ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी।
- (v) एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस समूह का सदस्य हो सकता है। वह एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता है/हो सकती है।
- (vi) एक समूह कुँए का पंजीकरण राजस्व रिकार्डों में ग्रुप सिंचाई कुँए के रूप में किया जाना चाहिए।
- (vii) सीजीडबल्यूबी द्वारा " सुरक्षित " के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, वैयक्तिक कुँओं पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे कुँओं की गहराई और व्यास तथा एक कुँए से दूसरे कुँए की दूरी क्षेत्र विशेष की हाइड्रो-जिओलॉजी के अनुसार होनी चाहिए। अधिक पथरीले क्षेत्रों में कुँए का व्यास 8 मीटर के भीतर रखा जाना चाहिए। कम पथरीले और कवर वाले क्षेत्रों के लिए, कुँए का व्यास 6 मीटर से कम होना चाहिए।

5. मनरेगा के अंतर्गत शुरू की जा रही गतिविधि के बारे में किसी संदेह की स्थिति में, कि क्या यह कार्य अनुमेय है अथवा नहीं, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने का सुझाव है।

मनरेगा अंतर्गत क्षेत्रीय परिस्थिति अनुसार श्रम मूलक स्थाई संरचना के नवीन कार्यों को अनुमत कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. कुछ परिस्थितियों, स्थानों अथवा मौसमों में, अनुमेय कार्यों की इस सूची के भीतर रोजगार की गारंटी देना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थितियों में, राज्य सरकारें अनुसूची-I के पैराग्राफ 1 ख (xvi) का प्रयोग कर सकती हैं, जिसके द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा सूची में कार्यों की कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया जा सकता है।
2. अनुसूची में अब से शामिल किए जाने वाले किसी भी नए कार्य की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए:
 - (i) यदि राज्य सरकार मानती है कि अनुमेय कार्यों की मौजूदा सूची से मनरेगा के अंतर्गत पर्याप्त रोजगार सृजित और उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और उसका भरोसा है कि (i) ऐसे कार्य भी हैं जो इस समय अनुमेय नहीं हो सकते हैं किन्तु उनसे अतिरिक्त रोजगार सृजित होगा; इनसे टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन होगा और ग्रामीण गरीबों का आजीविका संसाधन आधार मजबूत होगा, तब राज्य सरकार को जाँच तथा अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को भेजे जाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करना चाहिए।
 - (ii) राज्य सरकार के प्रस्ताव में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होना चाहिए:—
 - क) कार्य का औचित्य;
 - ख) राज्य के क्षेत्र जहाँ ये कार्य शुरू किए जाएंगे;
 - ग) नियोजित किए जाने वाले लोगों की संख्या (रोजगार संभाव्यता)।
 - घ) सृजित की जा सकने वाली टिकाऊ परिसम्पत्तियों की प्रकृति।
 - ङ.) यह कार्य किस प्रकार ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को मजबूत करेगा।
 - च) अन्य लाभ जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है जैसेकि सतत रोजगार अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा लोगों के जीवनस्तर को उन्नत बनाना।
 - (iii) इन प्रस्तावों में एक आदर्श परियोजना (मॉडल प्रोजेक्ट) भी अन्तर्विष्ट होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाए :
 - क) कार्य का औचित्य;
 - क) प्रत्येक कार्य की इकाई लागत।
 - ख) प्रत्येक कार्य का मजदूरी घटक।
 - ग) प्रत्येक कार्य का सामग्री घटक।
 - घ) प्रत्येक कार्य का कुशल तथा अर्ध-कुशल घटक।
 - ङ.) पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र तथा यह परियोजना किस प्रकार मनरेगा की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रावधान का अनुपालन करेगी।
 - च) अनुमानित अन्तिम परिणाम (परिसम्पत्ति) जो सृजित की जाएगी।
 - छ) ग्रामीण निर्धन के आजीविका आधार के लाभ।
 - ज) प्राप्त होने वाला अन्य कोई लाभ।

- (iv) एक ऐसा संकेत होना चाहिए कि क्या राज्य में चल रही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के साथ इसका तालमेल किए जाने की आवश्यकता होगी। यदि हाँ, तो उस तालमेल की प्रकृति, इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा तथा फार्मेट जिसमें महात्मा गांधी नरेगा की जरूरतों संबंधी लेखा का अनुरक्षण किया जाएगा।
- (v) एक ऐसा खाता होना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि यह कार्य कैसे निष्पादित किया गया है, यदि राज्य में इस प्रकार के कार्य के कोई उदाहरण विद्यमान हों (इसमें अलग-अलग पंचायतों अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए इस प्रकार के कार्यों को शामिल किया जा सकता है)।
- (vi) इस प्रस्ताव की मंत्रालय द्वारा जाँच की जाएगी और यदि आवश्यक हो, ऐसे प्रस्ताव की संभाव्यता तथा परिणाम की सामान्यतः 3 महीने के भीतर किन्तु 6 महीने के बाद नहीं, जाँच करने हेतु प्रायोगिक योजनाओं को स्वीकृति दी जा सकती है।
- (vii) यदि अनुमेय कार्यों में कार्य को शामिल किया जाना है, तो मंत्रालय अपेक्षित दिशानिर्देश तैयार करेगा और संबंधित राज्य सरकार को अनुमोदन भेजेगा।
- (viii) यदि किसी मामले में ऐसा पाया जाता है कि यह कार्य का मूल्यांकन है, तो केन्द्र सरकार यह सुझाव दे सकती है कि ऐसे कार्यों को बड़ी संख्या में राज्यों के लिए अथवा अखिल भारत आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है।
- (ix) तथापि, यदि यह पाया जाता है कि कार्य का परिणाम मनरेगा के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं पाया गया है तो अनुमेय कार्य के रूप में दिशानिर्देशों में संशोधन करने अथवा कार्य की स्वीकृति वापस लेने का सुझाव दिया जा सकता है।